**(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)**

**भारत सरकार**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**
**वाणिज्य विभाग**

**सार्वजनिक सूचना सं0 29 (आर ई 2012)/2009-2014**
**नई दिल्ली, दिनांक 12 नवम्बर, 2012**

**विषय : प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) के परिशिष्ट 25ख में बैंक गारंटी (बी जी)/विधिक वचनबद्धता (एल यू टी) से संबधित संशोधन ।**

विदेश व्यापार नीति, 2009-2014 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1) (परिशिष्ट एवं आयात निर्यात प्रपत्र) 2009-2014 के परिशिष्ट 25ख से संलग्न दिशा निर्देशों हेतु टिप्पणी में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

2. बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता निष्पादित करने के मामले में दिशा निर्देश हेतु मौजूदा टिप्पणी-1 को निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगाः-

> ''बैंक गांरटी/विधिक करार, जमानती बैंक (प्रत्याभूतिदाता)/आयातक/निर्यातक (पार्टी) द्वारा उस राशि के जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 या राज्य के अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित की जाएगी ।''

3. दिशानिर्देशों हेतु टिप्पणी की टिप्पणी संख्या 4 व 5 में आने वाले ''बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता'' वाक्यांश मे से ''बैंक गारंटी/'' को हटा दिया जाएगा और केवल ''विधिक वचनबद्धता'' रहेगी ।

**इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव :-**

बैंक गारंटी (बी.जी.) के लिए जमानती बैंक (प्रत्याभूतिदाता) द्वारा तथा विधिक करार के लिए निर्यातक/आयातक द्वारा निष्पादन करने की आवश्यकता होगी ।

**(अनुप के0 पुजारी)**
**विदेश व्यापार महानिदेशक**
**ई मेल : dgft@nic.in**

**(फाइल संख्या - 01/94/180/238/एएम 11/पीसी-4 से जारी)**